अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2006

का.आ. 1828(अ).—जबकि आयकर अधिनियम,1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (i) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 19 मार्च, 2006 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 373 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ए सी आई एल नवसृजन रूरल डेवलपमेंट फाउन्डेशन(अनारदे फाऊन्डेशन) केयर ऑफ एजिस लॉजिस्टिक्स लि0, चौथा तल, बलदाता भवन, 117, एम0के0 रोड, मुम्बई-400020 द्वारा संसाधनों को बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास, गरीबों, निर्जनों की आय बढ़ाने तथा प्रबन्धन एवं नेटवर्किंग और समायोजन की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2003-04 से आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 6 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षो से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है,इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को " 707.25 लाख रूपए" से संशोधित कर " 1000.00 लाख रूपए" करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए:-

(क) ए सी आई एल नवसृजन रूरल डेवलपमेंट फाउन्डेशन (अनारदे फाऊन्डेशन) केयर ऑफ एजिस लॉजिस्टिक्स लि0, चौथा तल, बलदाता भवन, 117, एम0के0 रोड, मुम्बई-400020 द्वारा संसाधनों को बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास, गरीबों, निर्जनों की आय बढ़ाने तथा प्रबन्धन एवं नेटवर्किंग और समायोजन की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2006-2007 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ; और

(ख) दिनांक 19 मार्च, 2004 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 373 (अ0) में निम्नलिखित प्रभाव से संशोधन करती है नामतः

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सख्या 6 के सामने धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि संबंधी कॉलम (4) में" 707.25 लाख रूपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रूपये " अक्षर, अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 295/2006/फा. सं. एन सी-274/03/2006]
सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)